

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1992 / 203 / आउशि / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31/10/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत "संबद्धता शुल्क" के भुगतान एवं "वर्दी" मद अन्तर्गत बजट आबंटन-वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में विद्यालयों की संबद्धता शुल्क के भुगतान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी मद अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.N o.	College	Location	District	Letter No. & Date	Allotment Amount for Affiliation (42-007)	Allotment Amount Liveries (22-006)
1	Govt College	Shahpur	Betul	339/1.8.18	75475	3000
2	Govt College	Pachamarhi	Hoshangabad	170/27.7.18	29600	37200
3	Govt Mata Jija Bai Girls P G College	Indore	Indore	784/3.5.18	0	40000
4	Govt Mahakaushal College	Jabalpur	Jabalpur	1073/22.9.18	0	119000
5	Govt College	Thandla	Jhabua	466/31.8.18	0	14000
6	Govt College	Barhi	Katni	126/2.8.18	80000	9020
7	Govt College	Sleemanabad	Katni	73/26.7.18	0	10000
8	Govt. P G College (For Jeeran College)	Neemuch	Neemuch	1256/16.7.18	73986	0
9	Govt College	Obedullaganj	Raisen	368/9.8.18	0	15000
10	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi	Sidhi	1680/18.7.18	0	52631
11	Govt Girls College	Baidhan	Singrauli	25/21.7.18	45000	3000
	Total				304061	302851

(2) संबद्धता शुल्क के भुगतान हेतु उपलब्ध बजट के अनुसार अधिकतम राशि आबंटित की गई है। अतः यदि आबंटित राशि से अधिक अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो शेष राशि

का भुगतान महाविद्यालय स्वयं अपने स्रोत से करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त राशि से महाविद्यालय द्वारा स्व-वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की संबद्धता शुल्क का भुगतान नहीं किया जावे।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

महाविद्यालय	बजट शीर्ष
शा.महाविद्यालय-संबद्धता शुल्क के भुगतान हेतु	44-2202-03-103-0101-0798-42-007
शा.महाविद्यालय-वर्दी हेतु	44-2202-03-103-0101-0798-22-006

(4) वर्दी क्य करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं वर्दी से संबंधित निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) वर्दी का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) जिन महाविद्यालयों को डी.डी.ओ.कोड नहीं है उनकी राशि संबंधित शासकीय/अग्रणी महावि.के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है।

(7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(8) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(9) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 3/10/2018

पृ0क0- 1993 / 203 / बजट / 2018

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश